



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 वैशाख 1945 (श0)  
(सं0 पटना 424) पटना, शुक्रवार, 19 मई 2023

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

19 मई 2023

सं० 3/एम0-54/2015सा0प्र0-9384—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 निर्गत है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. संकल्प की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) एवं पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन पदों से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित पदों को उपर्युक्त संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.15 की अनुसूची में इस शर्त के साथ सम्मिलित किया जाता है कि इस पद पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन मात्र एक वर्ष के लिए ही किया जायेगा—

| क्र०सं० | विभाग का नाम            | संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.15 की अनुसूची में सम्मिलित पद                                                                                                           |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | गृह विभाग (आरक्षी शाखा) | (i) सहायक अवर निरीक्षक (सशस्त्र);<br>(ii) अवर निरीक्षक (सशस्त्र);<br>(iii) निरीक्षक (सशस्त्र);<br>(iv) नालबन्द सिपाही;<br>(v) कम्पाउंडर सिपाही;<br>(vi) परिचारी (विशिष्ट)। |
| 2.      | पंचायती राज विभाग       | (i) प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी।                                                                                                                                          |

3. उपरोक्त पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इन पदों पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी।

आदेश से,  
एम0 एस0 अंसारी,  
सरकार के अवर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 424-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>